<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/5269/2005/राजसमन्द</u>

1.श्री जोधसिंह आत्मज श्री किशन सिंह राजपूत
2. हरी सिंह आत्मज श्री किशन सिंह राजपूत
निवासी मोहन नगर (मोही) तहसील व जिला राजसमन्द

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर राजसमन्द

रेस्पोडेन्ट

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री राजेन्द्र कुमार सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री अशोक नाथ अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजेन्द्र चौधरी उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u> **दिनांकः 07.9.18**

द्वारा श्री धूकलराम कसवां सदस्य

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–1–05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर राजसमन्द के न्यायालय में

अपीलार्थीगण वादीगण की ओर से वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद बाबत खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 28–5–03 से वादी का वाद खारिज कर दिया। वाद इस आधार पर खारिज किया कि वादग्रस्त आराजी बिला नाम सरकारी भूमि किस्म गैर काबिल काश्त मगरी है। वादी ने ठिकाने के लिखत के आधार पर अपने खातेदारी अधिकार होना बताया है लेकिन यह लिखत अपंजीकृत, अप्रमाणित एवं अनस्टाम्पड है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–5–03 से व्यथित होकर वादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–1–05 से अपील भी खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक कलेक्टर राजसमन्द एवं राजस्व अपील प्राधिकारी दोनों ने अपीलार्थीगण वादीगण के वाद को निरस्त करने में तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे में निरन्तर 60 वर्षो से चली आ रही है। इस भूमि का गलत इन्द्राज मेवाड राज्य में होने वाले प्रथम सेटिलमेन्ट में मोही जागीरदार की बिला नाम भूमि के अन्दर हो गया। जिसके सम्बन्ध में ही वाद चलाने के विवाद में न पडकर जागीरदार मोही से पटटा ही करा लिया किन्तु समय पर इन्द्राज दुरूस्त न होने से व मोही ठिकाने के अधिकार ही समाप्त होने व पुनः सेटिलमेन्ट में गलत इन्द्राज पूर्व की भांति बिला नाम में ही हो जाने से यह दावा किया गया है। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों

को इस वाद में केवलमात्र यह देखना था कि क्या भूमि वादीगण की पुरानी कब्जे में चली आ रही भूमि है और कानूनन कब्जे के आधार पर भी वादीगण खातेदार हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत इस वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया और जबाब दावा ही प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में कानूनन वाद के अवरमेन्ट स्वीकृत रहे है। फिर भी गवाहान के जो बयान हैं उन पर कोई क्रास नहीं किये जाने से सारे गवाहान वादीगण के बयान के सारे तथ्य ही कानूनन सही हैं। विचारण न्यायालय में जहां तक प्रदर्श डालने या न डालने का प्रश्न है,यह कार्य न्यायालय द्वारा ही होना चाहिये। यह सभी दस्तावेज साबित हैं। 60 साल से अधिक अवधि का कब्जा होने के कारण उन्हें एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेंपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थीगण वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है वह अपंजीकृत है तथा फोटो प्रति है। न ही इस पट्टे को साबित कराया है। इसलिये पट्टे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. वादीगण ने वाद मुख्य रूप से दो आधारों पर प्रस्तुत किया था। पहला आधार इस भूमि को उसने अपनी पट्टा शुदा भूमि होना बतलाया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत एकतरफा साक्ष्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते हुये यह निष्कर्ष दिये हैं कि जमाबन्दी

सम्बत 2053 से 2056 में वादग्रस्त आराजीयात बिलानाम एवं गैर काबिल काश्त मगरी व भरवे दर्ज है। इसी तरह भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा पत्र सम्बत 2023 में भी यह भूमि नाकाबिल काश्त मगरी अंकित है। विचारण न्यायालय के यह भी निष्कर्ष हैं कि जिस लिखत के आधार पर वादी ने अपना वाद पेश किया है वह अपंजीकृत एवं अन रजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राहय नहीं है तथा इसे विधि अनुसार प्रमाणित भी नहीं किया गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालयने भी साक्ष्य का पुर्नविश्लेषण करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षो को उचित ठहराया है। यह स्वीकृत स्थिति रही है कि असल पटटा विचारण न्यायालय में पेश ही नहीं हुआ है इसलिये जिस पटटे को आधार बतलाकर वादी ने दावा पेश किया है वह अप्रमाणित होने से वादी का इस भूमि पर कब्जा होना भी साबित नहीं माना गया है। अतः हमारी विनम्र राय में वादी के वाद का प्रथम आधार साबित नहीं होंने के समवर्ती निष्कर्षो में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं पाई जाती है।

8. जहां तक एडवर्स पजेशन का प्रश्न है, इस आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। 2011आर आर डी 508 जगदीश बनाम बग्गा के मामले में मण्डल की वृहद पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

9. यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी ने एक तरफ पटटे के आधार पर खातेदारी चाही है तथा दूसरी तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है। दोनों अभिवाक परस्पर विरोधाभासी हैं तथा एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में 2007 आर आर डी 321बैदनाथ बनाम थाना राम व अन्य व 2015(3) डी एन जे (राज.)1050 हेाकमा बनाम मोहन लाल में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण

हैं। इस आधार पर भी वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता है।

10. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किये हैं और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा विकृती नहीं है। इसलिये द्वतीय अपील के स्तर पर समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11.उक्त विर्वचनानुसार अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य